

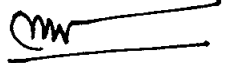
बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

अधि० सं०-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2022-85 पटना-15, दिनांक-28 जनवरी, 2024

भारत के संविधान के अनुच्छेद 164(1) में निहित प्रावधान के अंतर्गत श्री नीतीश कुमार दिनांक-28.01.2024 के पूर्वाह्न के प्रभाव से बिहार राज्य के मुख्य मंत्री तथा मंत्रिपरिषद् के सदस्य नहीं रहे।

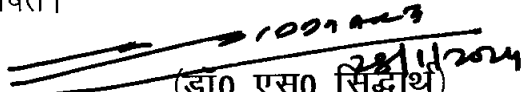
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(आमिर सुबहानी)

मुख्य सचिव 28.1.24

ज्ञापांक-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2022-85 पटना-15, दिनांक-28 जनवरी, 2024

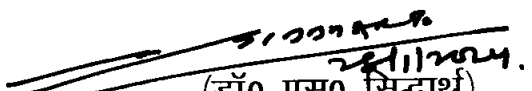
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सरकार के सभी विभागाध्यक्ष को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2022-85 पटना-15, दिनांक-28 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन/विकास भवन/विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

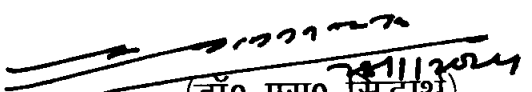

(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2022-85 पटना-15, दिनांक-28 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में अविलम्ब प्रकाशनार्थ प्रेषित।

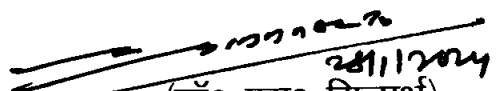
2. अनुरोध है कि इसकी मुद्रित 200 (दो सौ) प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-3/सी०एस०/एम०/मं०नि०-01/2022-85 पटना-15, दिनांक-28 जनवरी, 2024

प्रतिलिपि-आई० टी० मैनेजर, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(डॉ० एस० सिद्धार्थ)

अपर मुख्य सचिव